UPAL010057742026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़

पीठासीन अधिकारी– राकेश वशिष्ठ, (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP 6270

Anticipatory Bail Application/2679/2026

मौहम्मद मजहर पुत्र मौहम्मद निवासी कुडौनी केसरगंज बहराइच उ0प्र0

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0संख्या–138/2026
अन्तर्गत धारा–143 रेल अधिनियम
थाना–आर0पी0एफ0 शिकोहाबाद, अलीगढ़।

दिनांक 04.06.2026 –

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त मौहम्मद मजहर पुत्र मौहम्मद की ओर से मु0अ0 संख्या–138/2026 अन्तर्गत धारा–143 रेल अधिनियम थाना–आर0पी0एफ0 शिकोहाबाद जिला–अलीगढ़ में मय शपथपत्र मिनजानिव स्वंय जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार मुझ निरीक्षक आनन्द स्वरूप पाण्डेय सी0बी0आई0/टी0डी0सी0 द्वारा विषयांकित आरोपी को रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने में संलिप्त पाये जाने पर गिरफ्तारी की गयी तथा 2 काउण्टर टिकट रूपये 36320 नकद व अपराध करने में प्रयुक्त मोबाईल जब्त किये गये है जो मुताबिक फर्द है। अतः अनुरोध है कि विषयगत आरोपी एवम जब्तशुदा सामग्री को अपने सुपुर्दगी में लेकर मामला पंजीकृत कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कृपा करें। फर्द बरामदगी दिनांकित–13.05.2026 के अनुसार अभियुक्त सह अभियुक्त के कब्जे से 36320 रूपये, इस्तमोली रीयलमी मोबाईल रंग आसमानी व 2 कन्डक्टर टिकट बरामद हुए।

3. इसके विपरीत आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि आवेदक का समक्ष माननीय न्यायालय प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अथवा याचिका न ही समक्षर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है न ही निरस्त की गयी है। अभियोजन कथानक के अनुसार थाना आ0पी0एफ0 कानपुर में रेलवे एक्ट 1989 की धारा के अन्तर्गत अभियोजन पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन का आरोप है कि अभियुक्त अवैध रूप से रेलवे ई0 टिकट बनाने एवम बेचने का कार्य करता था तथा उसके कब्जे से मोबाईल फोन, लैपटाप, विभिन्न आई0डी0 एवम कुछ रेलवे ई टिकट बरामद किये गये। विवेचना के दौरान आवेदक का नाम प्रकाश में लाया गया तथा आवेदक की उक्त उपराध में संलिप्त दर्शाया गया है। आवेदक निर्दोष है एवम कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है उसे मात्र शक एवम अनुमान के आधार पर इस मुकदमे में झूंठा फंसाया गया है। आवेदक का किसी प्रकार के अवैध टिकट कारोबार एवम आपराधिक गतिविधि से कोई सम्बन्ध नहीं है। कथित बरामदगी की स्वतन्त्रता एवम निष्पक्ष पुष्टि नहीं की गयी है तथा सम्पूर्ण कथानक संदेहास्पद एवम अविश्वसनीय प्रतीत होता है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य

उपलब्ध नहीं है, जिसमें उसका अपराध से संलिप्त होना प्रमाणित हो सके। अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोपों की सत्यता का परीक्षण विचारण दौरान साक्ष्यों के आधार पर किया जाना है। अतः केवल आरोपों के आधार पर प्रार्थी की गिरफ्तारी से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को अपूर्णनीय क्षति पहुंचेगी। रेलवे एक्ट धारा–143 के अन्तर्गत आरोपित अपराध में अग्रिम जमानत पर वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है। प्रार्थी पूर्व सजायफ्ता नहीं है तथा समाज का सम्मानित व्यक्ति है। प्रार्थी स्थाई निवासी है और उसके फरार होने अथवा न्यायालय की कार्यवाही से बचने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी विवेचना में पूर्ण सहायोग करने हेतु तैयार है तथा जब भी विवेचक अथवा माननीय न्यायालय द्वारा बुलाया जायेगा वह उपस्थित होगा। प्रार्थी को प्रबल अंदेशा है कि पुलिस उसे किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को अपूर्णनीय क्षति पहुंचेगी। श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त अपराध में अग्रिम जमानत प्रदान करने की कृपा करें।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया है।

5. सुना तथा केस डायरी व उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

6. उपलब्ध प्रपत्रों से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर तत्काल रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने का आरोप है।

7. **"माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 (8) एस सी सी पेज संख्या–273 "** में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि सात वर्ष की सजा के दण्डनीय अपराध के लिए अभियुक्त की सीधे गिरफ्तारी नही की जायेगी बल्कि नोटिस का दिया जाना आवश्यक है। यदि कोई गिरफ्तारी की जाती है तो विवेचक के विरुद्ध पुलिस अधिकारी को कार्यवाही हेतु लिखा जायेगा और ऐसी गिरफ्तारी पर यदि कोई रिमाण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है तब उसके लिए भी सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय के महानिबन्धक को कार्यवाही हेतु लिखा जायेगा। यदि ऐसा रिमाण्ड बिना किसी कारण का उल्लेख करते हुए दिया गया है।

जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–35(1) बी0एन0एस0एस0 में प्रावधानित किया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना वारन्ट के किसी व्यक्ति को कब गिरफतार कर सकेगा।

जैसा कि बी0एन0एस0एस0 की धारा–35(1) के खण्ड (ख) में उपबन्धित किया गया है कि यदि मामला 07 वर्ष तक के कारावास का हो तो धारा–35 के अधीन दी गयी शर्तो के अनुसार ही उसे गिरफतार किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है और 03 वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। इस प्रकार गिरफतारी की कोई प्रत्यक्ष आशंका ही नहीं है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था सलोचना परदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य निर्णय दिनांकित 06 जनवरी 2026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि अग्रिम जमानत देने की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिये खासकर जहॉ आरोप प्रथम दृष्टया गम्भीर अपराधों के घटित होने का संकेत देते हैं जिसके लिये हिरासत में कुछ पूछताछ आवश्यक है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अग्रिम**

<u>जमानत एक अपवाद है नियम नहीं है।</u>

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मामले में अभी विवेचना चल रही है तथा सहअभियुक्त की जमानत जिला कारागार में निरूद्ध रहते हुये स्वीकृत हुई है। सह अभियुक्त के बयान के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है तथा अभियोजन द्वारा अभियुक्त की मोबाईल कॉल डिटेल भी प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत अपराध में अभियुक्त की गिरफ्तारी की कोई प्रत्यक्ष आशंका नहीं है। ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत दिया जाना उचित नहीं है।

8. अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना मेरे विचार से इस स्तर पर अभियुक्त/प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मौहम्मद मजहर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–04.06.2026

(राकेश वशिष्ठ)
विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़।
UP 6270

Steno- Nasir

Digitally signed by RAKESH VASHISHT
Date: 2026.06.04 17:14:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court